Faridabad Plot Built Properties in all Sectors

SYNDICATE
ESTATE AGENCY

Ind. Plot no. 11,
Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288

Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES

(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa

24, Hours Service

Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 23 | अंक 14 | मंगलवार, फरीदाबाद, 1-15 मई, 2010 | फोन : - 9999595632 | सहयोग राशि 1 रुपया

92,000 लेकर भी बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज

डीसीपी व सीपी द्वारा जांच की कोई परवाह नहीं एसएचओ को

फ़रीदाबाद (म.मो.) पूजा भारद्वाज पुत्र रोहताश शर्मा निवासी डी-125, एसजीएम नगर की शिकायत पर थाना एनआईटी के एसएचओ अब्दुल ने राजकुमार बेदी निवासी 1502, सेक्टर-16 के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 376 के तहत दिनांक 15.4.2010 को एक झूठा मुकदमा नंबर 90 दर्ज कर लिया। शिकायत होने पर पुलिस कमिश्नर ने मुकदमे की तफ़तीश इंस्पेक्टर सीआईए जितेन्द्र ढांडा को सौंप दी है।

उपलब्ध पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पूजा ने दिनांक 2.2.2010 को एनआईटी थाने के एसएचओ अब्दुल से सांठ-गांठ करके राजकुमार के विरुद्ध शिकायत (रपट रोजनामच नं. 18) दर्ज कराई कि राजकुमार ने अपनी एस्टीम कार, जिसे उसका ड्राइवर चला रहा था तथा प्रीती साथ बैठी थी, में दिन के 12.30 बजे जीवा स्कूल सेक्टर 21ए के सामने से उठाकर डाल लिया और बलात्कार कर दिया। मुकदमा दर्ज करके लड़की की डॉक्टरी जांच व मौका मुआयना करने की बजाय एसएचओ ने सीधे राजकुमार को तलब कर लिया। जाहिर है कि एसएचओ को तो हकीकत का पता ही था कि न तो बलात्कार हुआ था और न ही डॉक्टरी जांच व मौका मुआयना से कुछ मिलना था जो कुछ निकलना था वह तो राजकुमार में से ही निकलना था। एसएचओ के बुलावे पर राजकुमार अपनी मां, बाप, भाई रिंकू, प्रीती व 4 अन्य लोगों को लेकर 3.02.10 की शाम 3 बजे थाने में पहुंच गया। थाने में न तो शिकायतकर्ता पूजा थी और न ही उसके घर का कोई आदमी था। थाने में घुसने से पहले राजकुमार अपने एक परिचित हरजिन्दर सिंह के घर गया जोकि थाने के सामने ही है। हरजिन्दर कुछ समय पहले राजकुमार के साथ ही रिलायंस बीमा कंपनी में नौकरी करता था। पुलिसिया दहशत को कम करने की नीयत से राजकुमार ने हरजिन्दर को भी अपने साथ ले लिया। लेकिन इसके बावजूद भी वह पुलिसिया उत्पीड़न से बच न सका। **शेष पेज 2 पर**

डॉक्टर से थानेदार बने सुनील का तबादला भौंडसी

अपनी आपराधिक गतिविधियों के चले लग़ातार 'मज़दूर मोर्चा' की सुर्खियों में रहने वाले थानेदार के तबादला आदेश गत सप्ताह बजरिया फ़ैक्स डीजीपी द्वारा चंडीगढ़ से आ गए। इस बाबत एक प्रश्न के उत्तर में पुलिस कमिश्नर पीके अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा लिखित शिकायत पर डीजीपी ने ये तबादला आदेश जारी किए हैं। इसे लेकर पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा इतनी अधिक आपराधिक गतिविधियों की सज़ा क्या तबादला मात्र ही होती है?

दूसरा यह कि ज़िले को चलाने के लिए क्या हर बार कमिश्नर को चंडीगढ़ का मुंह ताकना पड़ेगा? चंडीगढ़ तो 300 किलोमीटर है, वहां से कार्रवाई होते होते तो जिला ही लुट जाएगा। पुलिसबल को मिले बेतहाशा अधिकारों को देखते हुए इस मककमे में अनुशासन को कड़ा रखने की दृष्टि से एक रैंक ऊपर का अधिकारी भी अपने से नीचे वाले को तुरंत निलंबित कर सकता है। ज़िले के एसपी का नियंत्रण इतना कड़ा होता था कि उसकी मर्ज़ी के बिना मातहम दाएं-बाएं झांक भी नहीं सकता था। लगता है कि कमिश्नरी बनने के बाद यहां अब एसपी वाले अधिकार भी नहीं रहे, जो बात-बात के लिए चंडीगढ़ की ओर ताकना पड़ता है। इसी ढ़िलाई के चलते पूरे महकमे का हाल बिगड़ा पड़ा है। वर्दीधारियों के बीच अपराधी तत्वों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जाहिर है अंतत: इसका शिकार तो जनता को ही बनना है।

ईएसआई में ठेका कर्मियों का शोषण

फरीदाबाद (म.मो.) ईएसआई अस्पताल में ठेके पर रखे गये स्वास्थ्य कर्मियों के बकाया वेतन मामले का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों के सात महीने का वेतन भुगतान अभी तक अस्पताल के सीएमओ के बार-बार के आश्वासनों के बाद भी नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में मज़दूर मोर्चा के पिछले अंक में विस्तार से समाचार प्रकाशित किया गया था। सीएमओ ने धरनारत कर्मियों को कहा था कि उनके बकाया वेतन का भुगतान शीघ्र ही करवा दिया जायेगा, पर हालत यह है कि अभी भी धरनारत कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं।

यही नहीं, ठेके पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को आंदोलनात्मक गतिविधियों से बाज आने के लिए भी कहा जा रहा है। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश भी की जा रही है। सवाल है कि क्या अपना बकाया वेतन मांग कर कर्मचारी कोई अपराध कर रहे हैं? अगर वे अपनी मांगों के लिए आंदोलनात्मक गतिविधियों पर उतरे हैं हैं तो लाचार हो कर। अगर उन्हें जायज तरीके से वेतन दे दिया जाता तो वे मेहनत और लगन के साथ अपना काम करते रहते। पर ईएसआई प्रबंधन ने उनके धैर्य की परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने सोचा कि ठेके पर रखे गये ये कर्मचारी अपनी नौकरी बचाये रखने के चक्कर में सात महीने का वेतन छोड़ देंगे और ठेकेदारों को फायदा हो जायेगा। पर अपनी मेहनत की कमाई को कोई भला क्यों छोड़ेगा? कर्मचारियों को पहले यह उम्मीद थी कि उनका बकाया वेतन उन्हें मिल जायेगा, पर साल गुजर गया और वेतन नहीं मिला तो बाध्य हो कर उन्हें आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ा। अपनी उचित मांगों के लिए आंदोलन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। ईएसआई मज़दूरों के हित के लिए बनाई गई संस्था है, पर इसे व्यवस्था की विडंबना कहेंगे कि वहां अस्पतालों में ठेके पर कर्मी बहाल किये जाते हैं। यह कौन नहीं जानता कि ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत मज़दूरों के शोषण को और भी ज़्यादा तेज़ करने के लिए की गई है।

कर्मचारियों को पहले यह उम्मीद थी कि उनका बकाया वेतन उन्हें मिल जायेगा, पर साल गुजर गया और वेतन नहीं मिला तो बाध्य हो कर उन्हें आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ा। अपनी उचित मांगों के लिए आंदोलन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। ईएसआई मज़दूरों के हित के लिए बनाई गई संस्था है, पर इसे व्यवस्था की विडंबना कहेंगे कि वहां अस्पतालों में ठेके पर कर्मी बहाल किये जाते हैं।

शेष पेज 2 पर

मेडिकल शिक्षा में भ्रष्टाचार : जिम्मेदार कौन?

- विशेष प्रतिनिधि

भारत की चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) चेयरमैन केतन देसाई द्वारा डाक्टरी शिक्षा के व्यापार में अंधाधुंध पैसा कमाने के पीछे छिपे कारणों को खोजने पर पता चलता है कि इस देश में डाक्टरी शिक्षा के नाम पर कितना बड़ा घोटाला पिछले दसियों बरस से चलता आ रहा है। भारत विभाजन यानी सन् 1947 में देश भर में कुल 20 मेडिकल कालेज थे (जिन्हें सरकार चलाती थी) जो आज बढ़ कर 262 हो गये हैं। इनमें से मात्र 100 सरकार तथा शेष 162 प्राइवेट शिक्षा व्यापारियों के नियंत्रण में चलते हैं। एक मेडिकल कालेज स्थापित एवं चालू करने के लिए आवश्यक माणक, नियम, सुविधायें, स्टाफ़ व साज़ो सामान को तय करने तथा प्रमाणित करने का अधिकार एमसीआई के पास होता था जिसे अब भंग कर दिया गया है। निर्धारित नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुसार यदि 100 सीटों वाला एक मेडिकल कालेज तैयार करने पर करीब 200 करोड़ रुपये की लागत आती है तथा माणकों के अनुसार चलाने पर 60 से 65 करोड़ रुपये सालाना खर्च होते हैं। अब देखना यह है कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद शिक्षा व्यापारी को वसूली क्या होती है? सरकारी आदेशानुसार 100 में से 50 सीटें सरकार बांटती है जिन पर कालेज प्रबंधन को 80,000 रुपये वार्षिक के हिसाब से साल भर में मिलने हैं कुल चार लाख रुपये। 20 सीटों पर प्रबंधक प्राप्त करते हैं दो लाख प्रति वर्ष के हिसाब से कुल 40 लाख वार्षिक, शेष बची 30 सीटों को पूरी तरह प्रबंधकों के लिये छोड़ दिया जाता है, इन्हें कहते भी हैं प्रबंधक कोटा। मौजूदा मोल-भाव के अनुसार इन सीटों का भाव है सात लाख प्रति सीट वार्षिक। इस हिसाब से ये बने दो करोड़, 10 लाख। इस प्रकार 100 सीटों

सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, यह सिलसिला बदस्तूर चलता रहा है। अब एमसीआई भंग कर दी गई है तो किसी और नाम से कोई नई संस्था खड़ी कर दी जायेगी, जिसे कि फ़िर से यही काम करना है। ऐसा भी संभव नहीं है कि मेडिकल कालेजों में हो रही लूट व गिरते हुए शैक्षिक स्तर का किसी को पता न हो। आज जागरूक मीडिया के माध्यम से सारा देश जानता है कि कहां क्या हो रहा है।

के भरने पर प्रबंधकों को प्राप्त हुए कुल दो करोड़, 90 लाख रुपये। इसके अलावा झपटमारी द्वारा यानी होस्टल, ट्रांसपोर्ट आदि-आदि के नाम पर भी यदि एक करोड़ वसूली हो जाये तो भी कुल करीब चार करोड़। इसे पांच से गुणा कर दें तो हो जायेगा 20 करोड़। अब सोचने-समझने वाला सवाल यह पैदा होता है कि इतना मूर्ख व्यापारी कौन हो सकता है जो 200 करोड़ का स्थाई निवेश करके पहले तो मेडिकल कालेज खड़ा करे, फिर उसे चलाने के लिए 60 करोड़ वार्षिक खर्च करके मात्र 20 करोड़ सालाना ही कमाये? इस तरह के घाटे का काम, जनहित में सरकार तो जनता के पैसे से कर सकती है, लेकिन जेब से पैसा लगा कर कोई भी व्यापारी नहीं कर सकता। ऐसे में व्यापारी क्या करता है? वह कालेज स्थापना पर 200 करोड़ की बजाय 40-50 करोड़ तथा उसके संचालन के लिए 60 की जगह 5-10 करोड़ वार्षिक से ही काम चलायेगा, तभी उसे मुनाफ़ा प्राप्त हो सकता है। जाहिर है, जब खर्चे कम किये जायेंगे तो मेडिकल शिक्षा के लिए अनिवार्य सुविधाओं व माणकों में भारी कटौती की जायेगी। बस इसी कटौती को अनदेखा करने के नाम का पैसा एमसीआई अथवा केतन देसाई लेता था। जानकारों के अनुसार गत 9-10 वर्षों से केतन देसाई 500 से 700 करोड़ वार्षिक के हिसाब से वसूल कर रहा था। कहने व देखने में तो बेशक यह पैसा देसाई वसूल रहा था, लेकिन वास्तव में यह पैसा स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री तथा संबंधित अफ़सरशाहों में बंट जाता था। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, यह सिलसिला बदस्तूर चलता रहा है। अब एमसीआई भंग कर दी गई है तो किसी और नाम से कोई नई संस्था खड़ी कर दी जायेगी, जिसे कि फ़िर से यही काम करना है। ऐसा भी संभव नहीं है कि मेडिकल कालेजों में हो रही लूट व गिरते हुए शैक्षिक स्तर का किसी को पता न हो। आज जागरूक मीडिया के माध्यम से सारा देश जानता है कि कहां क्या हो रहा है।

शेष पेज 2 पर